

No.7 (1)/EV/2008
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, Dated 10th September, 2010

OFFICE MEMORANDUM


Subject: Rate of monthly subscription and insurance cover under CGEGIS-1980 for erstwhile Group 'D' employees placed in PB-1, Grade Pay Rs. 1800/- and classified as Group 'C'.

The undersigned is directed to invite the attention of all Ministries/Departments of the Central Government to this Ministry's O.M. No. F.7(5)-EV/89 dated 15th May, 1989 updating the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980.

2. The 6th Central Pay Commission in para 4.9.4 of its report has recommended that the rate of monthly subscription and the amount of insurance cover under the Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) should be enhanced 6 times. The Commission has also recommended up-gradation of Group D in the Government with all existing Group D employees being upgraded and placed in the entry grade of Group C. Accordingly, no separate slab for Group D has been recommended.

3. In view of the recommendations of 6th CPC, Department of Personnel & Training vide notification dated 9/4/2009 has classified the posts carrying the Grade Pay of ` 1800/- as Group C.

4. Therefore, it has been decided to enhance the monthly subscription towards CGEGIS and insurance coverage to the erstwhile Group 'D' employees placed in PB-1 with Grade Pay of ` 1800 and classified as Group 'C', @ ` 30/- per month from 1st January of the next calendar year i.e. January, 2011.


(Manoj Sahay)
Director

To

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2010

विषय: पी.बी. -1, ग्रेड पे ८, 1800/- में रखे गए और समूह 'ब' के रूप में वर्गीकृत तत्कालीन समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए सी.डी.ई.डी.आई.एन., 1989 के अंतर्गत मासिक अंशदान की दर और बीमा कवर।

सर्वोच्च न्यायालय की इस मंजूरी के 15 मई, 1989 के आदेशों के तहत संख्या एफ 7(5)- ई. V/89 की ओर केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकृष्ट करने का निर्देश हुआ है जिसमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 के अन्तर्गत प्रत्याग किया गया था।

2. इस संबंध में, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पी.बी. 1 की दर के रूप में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पी.बी. 1 की दर के रूप में छह गुणा वृद्धि की गई है। यह वृद्धि समूह 'ब' के कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी और उन्हें समूह 'घ' के लिए किसी अलग दर की आवश्यकता नहीं होगी।

3. इस संबंध में, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पी.बी. 1 की दर के रूप में छह गुणा वृद्धि की गई है। यह वृद्धि समूह 'ब' के कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी और उन्हें समूह 'घ' के लिए किसी अलग दर की आवश्यकता नहीं होगी।

4. इसलिए 1800 रु. की ग्रेड पे के साथ पी.बी.1 में रखे गए और समूह 'ग' के रूप में वर्गीकृत तत्कालीन समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के लिए मासिक अंशदान-बीमा कवर का निर्णय अगले कलेंडर वर्ष अर्थात् 1 जनवरी, 2011 से 30 रुपए करने का निर्णय लिया गया है।

(मनोज सहाय)
निदेशक